## Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legisletive Assembly of Rajasthan State from the 135-Barmer Assembly constituency.

In Pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

## Smt. DR. PRIYANKA CHOWDHARY

Purana Jatavas, Barmer Sponsored by Independent

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Barmer

Date: 03 December, 2023

(Samadar Singh Bhati)

135-Barmer Assembly Constituency

(Sub Divisional Office Pivisional Magistrate)

Barmer

## प्ररूप 21 ग

## (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

135-बाइमेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन निर्वाचन किर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्रीमती डा॰ प्रियंका चौधरी, पुराना जाटावास, बाड़मेर, जो निर्दलीय द्वारा खड़े की गई है।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं।

स्थान बाइमेर तारीख 03 दिसम्बर 2023

( समदर सिंह भाटी )